न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 167–दो/1988 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–5–1988 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 121/1979–80

रामसहाय पुत्र देवलाल
चंद्रवदनी नाका लश्कर
ग्वालियर, मध्यप्रदेश । ---अनावेदक

विरूद्ध

1– जगदीश 2– गयादीन पुत्र दर्यावसिंह
3– श्रीमती पथुला वेवा दर्यावसिंह
ग्राम सोंधा मजरा माताका पुरा
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ----अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 20– 4 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 121/1979–80 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–1988 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सोंधा मजरा माता का पुरा स्थित भूमि कुल किता 18 रकबा 25 वीघा 8 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के भूमिस्वामी मृतक छिद्दा थे जो उन्हें सैन्य सेवा के बदले में भूतपूर्व ग्वालियर रियासत से प्राप्त थी । सन् 1963 में छिद्दा की मृत्यु हो गई। तदुपरांत

सोनावाई वेवा पत्नि छिद्दा भूमिस्वामी हुई। महिला सोनावाई ने सिकमी कास्तकार से भूमि वापिस कराये जाने दिनांक 14-12-11965 को मध्य प्रदेश प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 168 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने प्रकरण कमांक 2/1965-66 X 168 में आदेश दिनांक 21-3-1968 से दावा प्रचलन योग्य न होना मानकर निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 70/67-68 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 28-2-1970 से स्वीकार की गई एंव जगदीश पुत्र दर्याव सिंह को बेदखल करने के आदेश हुये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील कमांक 255/69-70 प्रस्तुत हई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 21-9-70 से अपील निरस्त हुई एंव कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 28-2-70 को स्थिर रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत हुई, जो कमांक 45-एक/1970 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 29-8-1973 से स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव की ओर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ।

अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने प्रकरण कमांक 2/1965-66 X 168 में पक्षकारों की सुनवाई की तथा आदेश दिनांक 16-9-1975 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि से जगदीश पुत्र दर्यावसिंह को बेदखल करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 52/74-75 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 19 अप्रेल 1977 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील कमांक 121/79-80 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31 मई 1988 से अपील स्वीकार की गई एंव महिला सोनावाई का संहिता की धारा 168 के अंतर्गत दिया गया आवेदन दिनांक 9-12-65 अस्वीकार कर दिया गया।

इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के तर्क सुने गये तथा अपर आयुक्त के न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्थिति यह है :-

1. आवेदक रामसहाय पुत्र देवलाल महिला सोनावाई व्दारा उसके हित मे लिखी गई अनुसार वारिस है।
2. अनावेदकगण मृतक दर्याव सिंह (वादग्रस्त भूमि का तथाकथित सिकमी कास्तकार) के पुत्र/ पत्नि हैं।

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश के पद-5 में इस प्रकार लिखा है :-

> प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि क्या मृतक सोनावाई : अब वारिसान : म0प्र0भू राजस्व संहिता की धारा 168 के अंतर्गत विवादित भूमि का कब्जा पाने के हकदार है इसके लिये संबंधित पक्षों के बीच में विवादित भूमि के बारे में क्या कानूनी संबंध था यह देखना आवश्यक है। महिला सोनावाई और दरियावसिंह के बीच में केवल निम्न प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं।
>
> 1. दरियाव सिंह विवादित भूमि का अतिक्रामक था।
>
> या
>
> 2. दरियावसिंह विवादित भूमि का सोनावाई का सिकमी कास्तकार ।

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर ने आदेश के पद 8 में निष्कर्ष निकाला है कि इस धारा के अनुसरण में दिया गया कोई भी पटटा मृत्यु के व्दारा या अन्यथा निर्योग्यता की समाप्ति के एक वर्ष पश्चात् प्रदत्त नहीं रहेगा एंव आदेश के पद 9 में मृतक सोनावाई दरियावसिंह या उसके वारिसान से विवादित भूमि का कब्जा पाने की पात्र न ठहराते हुये अपील स्वीकार की गई है।

अपर आयुक्त का उक्तानुसार निर्णय वास्तविकता पर आधारित नहीं है क्योंकि महिला सोनावाई ने विधवा रहते हुये अपने जीवनकाल में दिनांक 14-12-11965 को मध्य प्रदेश प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 168 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करके कब्जा वापिसी की मांग की है अर्थात इसीसे प्रमाणित है कि दर्याव सिंह वादग्रस्त भूमि का कब्जेदार न होकर सिकमी कास्तकार की हैसियत धारण किये था, परन्तु विद्वान अपर आयुक्त ने वास्तविकता के विपरीत जाकर अर्थ निकालते हुये विद्वान कलेक्टर के आदेश दिनांक 16-9-75 एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.8.1973 में हस्तक्षेप करने की भूल की है।

5/ विचाराधीन प्रकरण की परिस्थितियॉ यह है कि वादग्रस्त भूमि की भूमिस्वामिनी विधवा महिला है एंव दर्यावसिंह वर्ष 1965 अथवा उसके पूर्व से सिकमी कास्तकारी पर भूमि इस महिला से धारण किये था अर्थाव मूल वाद विधवा महिला सोनावाई एंव दर्यावसिंह के बीच है एंव भले ही उनके मरने के वाद वारिस रिकार्ड पर हों - मामला संहिता की धारा 168 के अंतर्गत वर्ष 1965 में प्रचलित प्रावधानों एंव इन्हीं पक्षकारों की संबिदा के आधार पर निर्णीत किया जायेगा। सिकमी पटटे में अवधि निर्धारित न होना बताया है परन्तु संहिता की धारा 168 के अनुसार विधवा महिला निःशक्त श्रेणी में है। राम हेतु बनाम मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण 1976 रा0नि0 45 = 1976 ज0ला0ज0 105 के न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार हैं " **पटटे की अवधि होना चाहिए, कोई अवधि न होने पर वर्ष दर वर्ष का पटटा माना जायेगा** " विचाराधीन प्रकरण में निःशक्त महिला ने स्पष्ट तौर पर सिकमी कास्तकार से भूमि वापिस कराये जाने का आवेदन दिया है परन्तु अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 31 मई 88 पारित करते समय वास्तविकता के विपरीत अर्थ निकालते हुये मामला भूमिस्वामिनी विधवा महिला सोनवाई एंव दर्यावसिंह के बीच का न मानते हुये उसके वारिसानों रामचरण तथा गयादीन आदि के बीच

मानकर निराकृत करने में भूल की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चंबल संभाग , ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 121/1979-80 अपील में पारित आदेश दिनांक 31 मई 1988 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः कलेक्टर भिण्ड व्दारा अपील क्रमांक 52/74-75 में पारित आदेश दिनांक 19 अप्रेल 1977 तथा अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव व्दारा प्रकरण क्रमांक 2/1965-66 X 168 में पारित आदेश दिनांक 16-9-1975 यथावत् रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर